

रीजिस्ट्री नं. डी. (जे. एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 7, 1989/आश्विन 15, 1911
No. 530] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 1989/ASVINA 15, 1911

इस भाग में शिल्ल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1989

सं. का. नि 882 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्मालिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी
के लिए प्रकाशित किया जाता है।

2819 GI/89

(1)

“सं. आ. 142”

“संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां।

आदेश, 1989

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1989 है।
2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के व्यक्तियों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, जम्मू-कश्मीर राज्य के संवैधानिक में, जहाँ के उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य के निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियों समझा जाएगा।

अनुसूची

1. बाल्टी

2. बेडा

3. बोट, बोटी

4. भोकपा, डूकपा, दई, जिन

5. बंगपा

6. गरी

7. मोन

8. पुरिगपा

आर. बेंकटरामन, राष्ट्रपति

[सं. आ. 19(7)/89-वि. I]

वी.एस. रमा देवी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1989

G.S.R. 882 (E).—The following Order made by President is published for general informations :—

“C. O. 142”

“THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1989

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Government of

